छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–106/राजस्व/राहत/2012/~~291~~ 313 रायपुर, दिनांक 2/04/2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषयः राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–6 क्रमांक–4 में संशोधन बाबत ।
संदर्भः इस विभाग के पत्र क्रमांक 1–128/राजस्व/राहत/2007/507 दिनांक 22.06.2012

****

राज्य शासन एतद् द्वारा–राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–6 कमांक–4 के तहत, इस विभाग के द्वारा जारी संशोधन आदेश कमांक 1–128/राजस्व/राहत/2007/507 दिनांक 22.06.2012 के साथ संलग्न परिशिष्ट पृष्ठ क्रमांक 01 से 03 अनुसार नये उपबंध स्थापित करता है ।

2/ लेखा संधारण और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित निर्देश और व्यवस्थायें पूर्ववत् रहेगी।

3/ उक्त मदों में देय राहत राशि का भुगतान केन्द्र सरकार से अनुदान मिलने तक राज्य शासन के मद से किया जावेगा ।

4/ यह आदेश एवं परिशिष्ट राजस्व विभाग की बेवसाइट http://cg.nic.in/revenue पर भी अपलोड किया जा रहा है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार
2/4/13
(वाय.पी.दुपारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–1–106/राजस्व/राहत/2012/~~292~~ 314 रायपुर, दिनांक 02/04/2013

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ, रायपुर ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, रायपुर ।
3. निज सहायक मान0 मंत्रीगण/संसदीय सचिव, (समस्त) छत्तीसगढ शासन, रायपुर ।
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ शासन, रायपुर ।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर छ0ग0 ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय,रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ रायपुर ।
8. संभागीय आयुक्त, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा ।
9. संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायपुर ।
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

2/4/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

एन.आई.सी. राज्य इकाई, रायपुर
No. 57
Date 6/4/13
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

6/4

8.	किसी ग्रामीण अथवा खातेदार के फलदार वृक्षों की फसल क्षति होने पर अनुदान सहायता।	रूपये 500/— प्रति पेड़ तथा रूपये 20,000/— से अधिक नहीं होगी, तथा आम, संतरा, नीबू के बगीचे के लिए अधिकतम रूपये 15000/—	रूपये 500/— प्रति पेड़ अनुदान सहायता तथा अधिकतम रूपये 20000/— आम, संतरा, नीबू के बगीचे के लिए अधिकतम रूपये 25000/—
टीप :— पान के बरेजे, सब्जी व फलों के बाग, खरबूजे, तरबूजे आदि की क्षति भी फसल क्षति के अंतर्गत मानी जावेगी।			
9.	पपीता, केला, अनार, अंगूर की फसल की क्षति हेतु अनुदान सहायता	रूपये 6,000/— प्रति हेक्टेयर तथा रूपये 18,000/— से अधिक नहीं होगी	रूपये 8,100/— प्रति हेक्टेयर तथा रूपये 24,000/— से अधिक नहीं होगी
10.	भूमिहीन कृषक का अनाज जो मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ हो, उक्त अनाज अग्नि से जलने एवं प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट होने पर अनुदान सहायता	रूपये 5,000/—	रूपये 7,500/—
11.	फूलों वाली फसल प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर सिंचित/असिंचित (10 हेक्टेयर तक भूमिधारित कृषकों के लिए) अनुदान सहायता	(अ) 25 प्रतिशत फसल क्षति होने पर रूपये 2,000/— प्रति हेक्टेयर (ब) 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर रूपये 4,000/— प्रति हेक्टेयर तथा रूपये 24,000/— से अधिक नहीं होगी	(अ) 25 प्रतिशत फसल क्षति होने पर रूपये 3,000/— प्रति हेक्टेयर (ब) 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर रूपये 6,000/— प्रति हेक्टेयर तथा रूपये 36,000/— से अधिक नहीं होगी
12.	संपूर्ण फसल क्षति होने पर अनुदान के अतिरिक्त ऋण	रूपये 20,000/—	रूपये 30,000/—
13.	पशु हानि सुअर, भैंसा की मृत्यु होने पर अनुदान सहायता	अ) सुअर की मृत्यु होने पर रूपये 5,000/— प्रति सुअर (ब) भैंसा की मृत्यु होने पर रूपये 10,000/— प्रति भैंसा	अ) बाजार मूल्य या अधिकतम रूपये 10,000/— प्रति सुअर (ब) भैंसा की मृत्यु होने पर रूपये 15,000/— प्रति भैंसा

D:\Deatils of all file\New_Relief_Data\RBC-6.4\RBC-2013.doc

Harsanthy

लोक अधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)

14.	कुंए एवं नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता	प्राईवेट (निजी) कुंआ या नलकूप आदि टूट–फूट या धस जाता है तो उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 10,000/– सहायता अनुदान देय होगी	(अ) प्राईवेट (निजी) कुंआ की क्षति होने पर मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 10,000/– देय होगी (ब) प्राईवेट (निजी) नलकूप की क्षति होने पर मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 20,000/– उसके मालिक को अनुदान सहायता देय होगी
15.	बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता	आग बाढ़ अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर रूपये 5,000/– अनुदान सहायता देय होगी	आग, बाढ़ अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर रूपये 7,500/– अनुदान सहायता देय होगी
16.	अग्निपीड़ित दुकानदारों को सहायता	अग्नि/बाढ़ से पीड़ित दुकानदार को अधिकतम रूपये 8,000/– आर्थिक सहायता एवं रूपये 25,000/– तक ऋण उक्त सहायता एवं ऋण की केवल ऐसे दुकानदारों को पात्रता होगी, जिनकी आय रूपये 50,000/– से अधिक न हो ।	अग्नि/बाढ़ से पीड़ित दुकानदार को अधिकतम रूपये 12,000/– आर्थिक सहायता एवं रूपये 50,000/– तक ऋण उक्त सहायता एवं ऋण की केवल ऐसे दुकानदारों को पात्रता होगी, जिनकी आय रूपये 1,50,000/– से अधिक न हो ।

Sarrantly

D:\Deatils of all file\New_Relief_Data\RBC-6.4\RBC-2013.doc